Following the amendment of the Airports Authority of India (AAI) Act, the Ministry of Civil Aviation is working out modalities for collecting the Advance Development Fee (ADF) by framing appropriate rules. The amendments to AAI Act of 1994 have been passed in both Houses of Parliament in 2003. In the light of this, Ministry of Civil Aviation has framed rules on ADF under the amended Act. But the modalities for passing on the fee collected would require rules to be framed by the Government of India.

Considering the demand, I request the Central Government to sanction and release adequate fund on priority basis for completion of this project at an early date. Thank you.

STATEMENT BY MINISTER

Assassination of Shri Sunil Kumar Mahato, Member of Parliament (Lok Sabha), on 4th March, 2007

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): Hon. Chairman, Sir, I rise, with a deep sense of grief and anguish, to inform the House of the tragic assassination of Shri Sunil Kumar Mahato, Hon. MP, Jharkhand Mukti Morcha (JMM) and two of his bodyguards and a local JMM leader at about 5.30 P.M. on 4th March, 2007 in village Baguria under Ghatshila Police Station of East Singhbhum district of Jharkhand State. Three other persons also received bullet injuries.

Hon. MP had gone there to witness a local level football match along with four security personnel of Jharkhand Armed Police and other JMM supporters. Armed assailants holding small arms and posing as villagers were present among the spectators. In a planned move, the naxalites numbering around 40-45 including women members, suddenly overpowered the bodyguards, snatched their weapons and fired at the Hon. MP and his bodyguards. The naxals took away fourl NSAS rifles and ammunition with them. According to initial reports, the assailants raised pro-naxalite slogans after the killings. Sir, this is a statement based on the information sent by the State Government.

Immediately after the receipt of information, Police force from Ghatshila P.S. rushed to the place of occurrence. S.P. Purulia (in West Bengal) was contacted for sealing the nearby inter-state border. Combing operations on both sides of the border are in progress. Reinforcements from State Headquarters have been sent. DGP, Jharkhand and I.G. South Chhotanagpur are camping at Jamshedpur to supervise anti naxal operations in the area. The State has been put on high alert.

Government of India condemns this inhuman and tragic incident. Hon Minister of State (Shri Sriprakash Jaiswal) has visited the State and assured the State Administration that the Centre will provide all possible support and assistance. The Ministry of Home Affairs is maintaining a close watch on the situation.

The Central Government provides financial, technical and manpower related assistance to the naxal affected states under various schemes of the Home Ministry.

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

Under the Police Modernisation Scheme, Rs. 182.72 crores has been provided to Jharkhand in the last six years. During the current year, a Special Grant of Rs. 15 crores is being given to the State for purchase of telecommunication, weaponry and de-mining equipment. Jharkhand has been provided Rs. 20.92 crore under the Security Related Expenditure (SRE) Scheme till date.

To address the issue on the Socio-economic front, under the Backward District Initiative (BDI) scheme, so far Rs 450 crores has been released to Jharkhand. The State has utilized Rs 348.18 crore

In addition, the State has been provided.

- 16 Armoured Vehicles
- 5 battalions of CRPF continuously for the last 3 years
- Sanction for three IR battalions has been given by the Centre.

The State has raised one battalion till now. Central Government will provide Rs. 20.75 crore per battalion against Rs. 13 crore per battalion being provided earlier.

Under the SRE, till date Rs. 218.52 crores have been disbursed to Naxal-affected States. Under this Scheme, reimbursement is given to the States for expenditure on ammunition, mobility for police personnel rehabilitation of surrendered naxals, ex-gratia relief to killed civilians and security forces, insurance to security forces etc. The total expenditure under Police Modernization is of the level of about Rs. 4,000 crores since 2000-01. The Sashastra Seema Bal (SSB) has been deployed for providing security on Indo-Nepal border. Further, 33 battalions of CRPF have been provided to the naxal-affected States, which involves an expenditure of about Rs. 1200 crores. CPMFs have also been directed to fill 40% vacancies from youth of naxal-affected areas.

While the naxal problem in the country is of serious nature, combined efforts of the State and the Central Governments have shown some level of containment. Andhra Pradesh has achieved note-worthy success in controlling the problem through Special Forces, namely, Greyhounds and through other measures.

In the country as a whole, the incidents of naxal violence declined from 1608 in 2005 to 1509 in 2006, signifying a 6.15% decline.

The Central Government has also put in place a strong mechanism for monitoring naxal activities and for evolving strategies to counter and closely address the problem.

However, we certainly need greater concerted and co-operative efforts between the States *inter-se*, as well as between the Centre and the States to achieve more acceptable results. We expect that the motivation and dedication of the State police, coupled with financial, technical support which includes equipment and manpower support from Government of India along with developmental programmes in naxal affected areas will have a significant impact on this problem.

SHRI YASHWANT SINHA (Jharkhand): Sir, are we having clarifications now?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Whoever has given notice will seek clarification.

श्री दिग्विजय सिंह (झारखंड) : उपसभापति महोदय, मुझे बहुत दुख के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि जहां झारखंड में नक्सलियों के द्वारा एक संसद सदस्य की हत्या की गई वहीं भारत के गृह मंत्री को इस बात की फुर्सत नहीं थी कि उस मौके पर वह स्वयं हाजिर होते। हमें यह बात दुख के साथ शिवराज जी, इसलिए भी कहनी पड़ रही है कि...

श्री शिवराज वी॰ पाटील: श्रीप्रकाश जायसवाल जी गए थे।

श्री दिग्विजय सिंह: जी, श्रीप्रकाश जी गए, यह मुझे मालूम है। आप क्या कर रहे थे, जो आपके पास इतना समय नहीं था कि एक संसद सदस्य मारा गया, आज संसद की कार्यवाही लोक सभा में ठप्प हो गई, नहीं चली। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि इससे लागों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। अगर ऐसे मौके पर भी भारत का गृह मंत्री उपलब्ध न हो, एक दिन बाद, 24 घंटे तक, तो आप कब उपलब्ध होंगे? एक तो हम इसकी जानकारी चाहेंगे। दूसरा,

सदन में हम लोगों ने कई बार अपनी तरफ से और सार्वजनिक तौर से सब लोगों ने यह बात कही कि झारखंड के करीब-करीब सभी क्षेत्र नक्सलवादियों के प्रभाव में आ चुके हैं। सरकार की तरफ से बार-बार आश्वासन दिया जा रहा था कि हम उस पर निगरानी रखे हुए हैं। उस निगरानी के बावजूद इतना बड़ा कांड वहां पर हो गया। क्या भारत की सरकार को उसकी जानकारी थी या नहीं थी? तीसरी बात मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि वहां पर जो सरकार अभी चल रही है, उस सरकार के बारे में एक आम राय—यह मैं नहीं बता रहा हूं, आपके कल दो संसद सदस्यों ने अपने बयान में यह बात कही है—कि यह सरकार किसी भी कीमत पर अगर एक मिनट भी ज्यादा चली तो यहां पता नहीं, कितने संसद सदस्यों की और हत्या होगी। यह कांग्रेस के दो संसद सदस्यों का टेलीविज़न पर बयान हमने देखा है। एक का नाम फुरकान अंसारी था और दूसरे श्री दूबे थे। आप उस सरकार का समर्थन वहां कर रहे हैं। क्या ऐसी सरकार को तत्काल बर्खास्त करके आप वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे या नहीं करेंगे, यह भी मैं आपसे जानना चाहता हूं। चौथी बात मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जो नक्सलवादियों से जूझने के लिए आपने पैसे दिए थे, गाड़ी, मोटर और armoured vehicles खरीदने के लिए, क्या उस पैसे का सही उपयोग वहां हुआ है या नहीं हुआ? मेरी जानकारी में वह सारी गाड़ियां खरीदने के लिए जो आपने पैसा दिया था, उन गाड़ियों पर वहां के मंत्री लोग सवारी कर रहे हैं, वे चढ़ रहे हैं, सरकारी मुलाज़िम उन पर चढ़ रहे हैं। नक्सलवादी आंदोलन से लड़ने का कोई इंतज़ाम वहां के सरकारी तंत्र में बचा हुआ नहीं है। ऐसे हालात में आप कौन सा कदम वहां उठाने जा रहे हैं, तब जब कि संसद सदस्य की हत्या हुई हे? जिन संसद सदस्यों को वहां कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं है, उनके बारे में आप क्या कर रहे हैं? हम सब लोगों को झारखंड में जाने पर कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। मैं वहां से एमपी हूं, अहलुवालिया साहब वहां से एमपी हैं। हम लोगों के लिए वहां पर कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं किया गया है। क्या भारत की सरकार, उन संसद सदस्यों के लिए, जो वहां से हैं, कोई इंतजाम करने वाली है या नहीं? धन्यवाद।

श्री उपसभापति: श्री संतोष बागड़ोदिया।

श्री यशवंत सिन्हा: सर ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: मैं बुलाउंगा। सबने नोटिस दिया है। मैं आपको भी बुलाउंगा। वे भी झारखंड से हैं, आप भी झारखंड से हैं।

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): Mr. Deputy Chairman, Sir, the situation in the country and the world has changed. Not only naxal violence, but all kinds of violence have increased.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please seek the clarification.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, based on that only I am seeking a clarification. It is not because that my learned friend over there has mentioned about the Jharkhand MP, but I want to mention that whatever has happened is definitely a serious matter. But does it mean that only when this kind of situation happens and only from those States MPs are at risk? MPs are at risk all over the country. They have to travel to remote areas for their political activities. There is a risk at their residents also in Delhi. I would like to know from the hon. Minister, in view of this situation, whether he would like to consider that this kind of security should be given to the public men, either they are in Delhi or they are on tour in the country, because saying that Jharkhand is in trouble and not other places, is not really a true thing.

Then, Sir, he has mentioned that they have allotted Rs. 450 crores. But the State has utilized only Rs. 348 crores. Is it because of the stringent rules or was the State careless in utilizing the full amount? This point may also be clarified.

Then, Sir, will the hon. Minister like to make sure that some kind of police *bandobast* is made whenever MPs go for any kind of public function? The situaiton is such that 45 people come at a public place and not a single man is arrested, everybody runs away. That means it is a very serious matter. Will the hon. Minister look into it?

श्री यशवंत सिन्हा: उपसभापति महोदय, मैं आदरणीय गृह मंत्री जी के साथ सहमत हूं कि बहुत ही दुखद घटना घटी है और एक बहुत ही उभरते हुए व्यक्तित्व को झारखंड ने इस मर्डर के चलते खो दिया है, लेकिन मुझे अफसोस है कि इस मौके पर भी गृह मंत्री जी ने आंकड़ों के पीछे छिपने का प्रयास किया है। अब यहां पर बाकी जो आवंटन की बातें हैं, वे तो हैं ही, लेकिन जब-जब इस सदन में आंतरिक सुरक्षा के ऊपर और खास करके नक्सलिज्म पर चर्चा हुई है, तो गृह मंत्री महोदय ने बराबर इसको अंडरप्ले करने की कोशिश की है, कम करके आंकने की कोशिश की है, गृह मंत्री जी के ऊपर मेरा यह एक चार्ज है। आज भी अगर आप देखें कि पैराग्राफ 11 में वे कह रहे हैं-

Mr. Chairman in the Chair.

"In the country, as a whole, the incidents of naxal violence declined from 1608 in 2005 to 1509 in 2006, signifying a 6.15% decline."

अगर हम जाकर सुनील महतो की विधवा को कहें कि आप सब्र कीजिए, क्योंकि यह डिक्लाइन हुआ है 6.15 प्रतिशत का, तो उसके लिए कोई मतलब है इसबात का? और आंध्र

प्रदेश में अगर Greyhounds से हमें सफलता मिली है, तो भारत सरकार इसको दूसरे राज्यों में replicate क्यों नहीं करवा रही है? भारत सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है, खास करके इस मामले में, जबकि यह इंटर-स्टेट ऑपरेशन हो रहा है? हम सब जानते हैं कि वे छत्तीसगढ़ में क्राइम करते हैं, तो झारखंड में आते हैं और झारखंड में क्राइम करते हैं, तो छत्तीसगढ़ आते हैं। वहां से उड़ीसा जाते हैं, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश जाते हैं। Red corridor की बात सब लोग जानते हैं। गृह मंत्री महोदय ने पिछले साल एक बैठक बुलाई थी, हम सब लोग उसमें शामिल हुए थे। हम सब लोगों ने सुझाव दिया था कि नक्सलवाद से जो राज्य प्रभावित हैं, वहां पर हमें कौन-कौन से कदम उठाने चाहिए और हमें जानकारी नहीं है कि उस पर भारत सरकार ने कौन से कदम उठाए? क्या गृह मंत्री जी इस सदन को इस बात की जानकारी देंगे कि उस मीटिंग के बाद, जो उन्होंने पार्लियामेंट के सदस्यों की बुलाई थी, कौन-कौन से कदम उन्होंने उनके सुझाव पर उठाए? मुझे याद है कि उसमें मैंने एक सुझाव दिया था कि हर नक्सली अफेक्टेड राज्य में एक आर्म्ड हेलीकॉप्टर आप दीजिए, जो कि तत्काल उस घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर नक्सली घटना करके भागने की कोशिश कर रहे हों। हम सब जानते हैं कि उसमें इस प्रकार के औजार लगाए जा सकते हैं, जिससे कि अगर अंधेरा भी हो जाए, अंधकार भी आ जाए, तब भी हम देख सकते हैं कि क्या हुआ? अगर इस प्रकार की व्यवस्था हुई होती, तो कम से कम तत्काल वहां पर जमशेदपुर के पास, जहां यह दुर्घटना हुई, वहां यह हेलीकॉप्टर पहुंच सकता था और तत्काल हमें पता चल सकता था कि वे किस दिशा में गए। जैसा संतोष बागड़ोदिया जी ने कहा कि आज तक किसी की गिरफ़्तारी नहीं हुई, सारे लोग आए और अपने काम को अंजाम दिया और चले गए, तो मैं गृह मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि सुनील महतो, जो लोक सभा के सदस्य थे, उनको किस प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था वहां पर दी गई थी? क्या वह भारत सरकार की सुरक्षा व्यवस्था थी या राज्य सरकार की सुरक्षा व्यवस्था थी? अगर राज्य सरकार की सुरक्षा व्यवस्था थी, तो कितने लोग थे? किस प्रकार के लोग थे और उनको किस प्रकार की ट्रेनिंग दी गई थी, इस प्रकार की सिचुएशन से निपटने के लिए?

दूसरा, जब वे जा रहे थे उस स्थान पर, तो उन्होंने क्या जिला प्रशासन को और विशेषकर पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी थी या नहीं दी थी? क्योंकि अगर उनके साथ सुरक्षाकर्मी थे, तो सुरक्षाकर्मियों का यह दायित्व बनता है कि वे जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दें। क्या यह सूचना दी गई? अगर ऐसी सूचना पुलिस को थी, तो उसके बाद उन्होंने वहां पर सुरक्षा के कौन-कौन से इंतज़ाम किए थे? क्योंकि हम सबकी जानकारी में है कि वे जिस इलाके में गए थे, वह पूरी तरह से नक्सली प्रभावित इलाका था। वे वहां दोबारा गए थे। वे पहले दिन रात को भी गए थे, उसके बाद वहां कीर्तन का एक कार्यक्रम था, उसमें पहुंचने में उन्हें देर हो गई, तब उनसे आग्रह किया गया कि कल फुटबॉल का मैच है, उस समय आप उपस्थित हों। तो ऐसे नहीं था कि वे अचानक चले गए वहां पर और किसी को जानकारी नहीं थी।

तीसरा जो मेरा सवाल है कि इस पूरी स्थिति को देखते हुए झारखंड में और दूसरे नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में जो वहां से मैमबर्स ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, उनकी सिक्योरिटी की व्यवस्था अब सरकार क्या करने जा रही है? सभापति जी, मैं बहुत तकलीफ के साथ इस बात को कह रहा हूं कि हम सभी, जो झारखंड में रहते हैं या इस प्रकार के राज्यों में राजनीति करते हैं और जमीनी राजनीति करते हैं, वे रोज इस खतरे को झेलते हैं। कहीं पर भी, हम में से किसी के साथ इस प्रकार की दुर्घटना घट सकती है। मैं स्वयं इस प्रकार के फंक्शन्स में जाता रहा रहता हूं। वहां पर मैं देखता हूं कि मेरे साथ जो सुरक्षा व्यवस्था है, वह पूरी तरह से विफल हो जाएगी, अगर दो आदमी भी वहां पर पहुंच जाएं और आक्रमण कर दें। झारखंड के पुलिसकर्मियों की जो ट्रेनिंग है, वह ट्रेनिंग इस प्रकार की सिचुएशन को मीट करने के लिए बिल्कुल नाकाफी है। सभापति जी, आप सोचिए कि चार पुलिसकर्मी पीछे खड़े हैं और उनके पीछे पंद्रह नक्सली आकर खड़े हो गए, उसमें से दो पुलिसकर्मी भाग गए। जब जनता भागी तो वे भी भाग गए। उन्होंने दो पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया और उनके राइफल्स या जो आधुनिक हथियार थे, वे उन्होंने छीन लिए। यह पहली घटना नहीं है। किसी के साथ जो बहुत बड़ा खतरा होता है, वह यह होता है कि वे हमें मारने के लिए आएं या न आएं, लेकिन हमारे जो सुरक्षाकर्मी हैं, उनके हथियारों को छीनने के लिए वे लोग आएंगे। जो सुरक्षाकर्मी हैं, वे इतने नादान हैं कि अपने हथियारों की रक्षा नहीं कर सकते हैं। आज के दिन वहां पर यह स्थिति है हजारीबाग में हमारे घर के सामने एक ढाबा है, जहां पर उन्होंने लोगों को मार दिया। वहां पर पुलिस के कुछ कर्मी, जो पेट्रोलिंग करने के लिए गए थे, एक-एक के हथियार उन्होंने छीन लिए। यह स्थिति वहां पर है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अभी खबरें आ रही हैं कि भारत सरकार के जो मंत्री वहां गए, गृह सचिव महोदय ने बयान दिया, यह retaliatory killing-गृह मंत्री महोदय के पास क्या सूचना है? क्या उनको retaliation में मारा गया? क्योंकि वे दबंग थे, नक्सलियों के खिलाफ बोलते थे, इसलिए उन्हें टारगेट किया गया। क्या बात है, क्या हुआ था, इसकी कोई जानकारी गृह मंत्री जी के बयान से हमें नहीं मिलती है। मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर झारखंड सरकार ने सौ करोड़ से ऊपर रुपया पुलिस मॉडर्नाइजेशन के ऊपर खर्च नहीं किया है, जैसा संतोष बागड़ोदिया जी कह रहे थे कि इसके बारे में भारत सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं, तो ये जो पैसे वहां पर जा रहे हैं, इसका वहां पर उपयोग क्यों नहीं हो रहा है, सभापति जी, मैं अंत में कहना चाहूंगा कि आज के दिन झारखंड में जो सरकार है, वह सरकार नहीं है, वह एक मज़ाक है। It is a joke. जो दल उस सरकार का समर्थन कर रहे हैं, जिसका मुखिया एक इंडिपेंडेंट एमएलए है, उनको आज के दिन अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या वे उस राज्य के साथ इंसाफ कर रहे हैं या उस राज्य के साथ घोर अन्याय कर रहे हैं। वहां इस प्रकार की सरकार है। मेरा चार्ज है कि आज के दिन जो राजनीतिक दल समर्थन देकर झारखंड में इस प्रकार की सरकार को बनाए हुए हैं, वे झारखंड के साथ घोर अन्याय कर रहे हैं। पूरी व्यवस्था, चाहे विकास की

व्यवस्था हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हो, वह पूरी तरह से चौपट हो गई है। जो लोग वहां जाते हैं, वहां की जानकारी रखते हैं ...(व्यवधान)...

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK (Goa): Sir ...*(Interruptions)*...

SHRI JANARDHANA POOJARY (Karnataka): Sir ...*(Interruptions)*...

श्री यशवंत सिन्हा: आप सुनिए तो ...(व्यवधान)... आपके सदस्य ने ...(व्यवधान)... Mr. Poojary does not know anything about it ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Let him finish.

श्री यशवंत सिन्हा: सभापति जी, उनकी तरफ से जो बयान आया है ...(व्यवधान)... उसको पढ़िए ...(व्यवधान)... मैं तो यहां ...(व्यवधान)... बांटता रहा ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Let him finish ...*(Interruptions)*... Please let him finish ...(*Interruptions*)... The hon. Minister is going to reply ...(*Interruptions*)... Please take your seats ...(*Interruptions*)...

श्री यशवंत सिन्हा: सभापति जी, मैं यहां बहुत शालीनता के साथ बोल रहा हूं ...(व्यवधान)... मैं पुजारी जी से पूछना चाहता हूं ...(व्यवधान)... एक मिनट ...(व्यवधान)... मेरी बात सुनिए ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: It is a serious matter ...*(Interruptions)*...

श्री यशवंत सिन्हा: Ask your MP from Jharkhand—she is not here today—what statement she has made about the performance of the Jharkhand Government ...*(Interruptions)*... Mr. Poojary, then, you come and talk to me ...*(Interruptions)*... Then you come and talk to me ...*(Interruptions)*...

SHRI JANARDHANA POOJARY: You are criticising the State Government ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Mr. Poojary, please don't disturb ...*(Interruptions)*...

SHRI YASHWANT SINHA: What has she said? ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Mr. Poojary, please take you seat ...*(Interruptions)*... This is a very sensitive matter ...*(Interruptions)*... Let him speak ...*(Interruptions)*... Mr. Poojary, let him speak. This is a very serious matter ...*(Interruptions)*...

SHRI JANARDHANA POOJARY: Please allow us also to speak ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please take your seat ...*(Interruptions)*... I won't allow ...*(Interruptions)*... Nothing will go on record ...*(Interruptions)*... Please take your seat ...*(Interruptions)*... Mr. Sinha, please finish ...*(Interruptions)*...

श्री दिग्विजय सिंह: ये मजाक कर रहे हैं ...(व्यवधान)... क्या हालत हो रही है ...(व्यवधान)... क्या हालत है वहां पर आप लोगो को मालूम है ...(व्यवधान)...

श्री यशवंत सिन्हा: अंत में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि झारखंड के और इस प्रकार के राज्यों के जितने संसद सदस्य हैं, उनके लिए समुचित सुरक्षा की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, क्योंकि राज्य सरकार के ऊपर हम इस बात को लेकर निर्भर नहीं कर सकते हैं। आज श्री सुनील महतो मारे गए हैं, कल हम लोगों में से किसी के साथ भी इस प्रकार की दुर्घटना हो सकती हैं। धन्यवाद।

श्री अजय मारू (झारखंड): सभापति महोदय, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सासंद और हम सबके साथी श्री सुनील महतो की होली के उल्लास भरे समारोह में जिस तरह से हत्या की गई है, यह न सिर्फ झारखंड में नक्सलियों का जो साहस बढ़ रहा है, उसको दर्शाता है, बल्कि यह केन्द्र और राज्य सरकार के नक्सलवादी आंदोलन के खिलाफ जारी अभियान के खोखलेपन को भी दर्शाता है।

सभापति महोदय, कल झारखंड के मुख्यमंत्री ने अपनी जो प्रतिक्रिया दी, उसमें उन्होंने सबसे पहले यह कहा कि मैं यह मानता हूं कि झारखंड में सूचना तंत्र पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। यही नहीं, झारखंड से कांग्रेस के 2 सांसदों ने जिस प्रकार का आरोप उस सरकार पर लगाया है, यह मुझसे पहले बोलने वाले वक्ताओं ने कह दिया है। गृह मंत्री जी ने जो यह स्टेटमेंट दिया है, इसमें नक्सलियों के बढ़ते हुए आंतक का जिक्र करते हुए, उन्होंने इस घटना पर दु:ख जाहिर किया है, लेकिन इस 13 पैराग्राफ के स्टेटमेंट में उन्होंने कल की घटना का जिक्र सिर्फ 4 पैराग्राफ में किया है और बाकी 9 पैराग्राफ में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार क्या कर रही है, यह बताया है। उन्होंने पैराग्राफ 7 में जिक्र किया है कि 450 करोड़ रुपए की राशि में से केवल 348 करोड़ रुपए खर्च क़िए गए हैं। उस राज्य सरकार का यह हश्र है कि पूरे साल की योजना का जो बजट है, उसमें जनवरी तक मात्र 32 प्रतिशत राशि उस प्रदेश में खर्च की गई है। वहां की जो सरकार है, वह चुनी हुई सरकार नहीं है, चुन-चुनकर वहां लोगों को बिठाया गया है, ऐसी सरकार है। उस सरकार से हम और क्या उम्मीद कर सकते है?

सभापति जी, मैं गृह मंत्री जी से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि श्री सुनील महतो को पहले राज्य सरकार ने 6 अंगरक्षक दिए थे, उनमें से 2 अंगरक्षक क्यों हटाए गए? इसकी जानकारी गृह मंत्री जी दें। होली के अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें श्री सुनील महतो गए थे, एक दिन पूर्व भी रात 11 बजे वे उसी स्थान से लौटकर आए थे। श्री सुनील महतो, उग्रवाद और नक्सलवाद के खिलाफ मुखर थे और जिस स्थान पर उनका कत्ल हुआ, वहां पर वे ग्रामीणों को उन नक्सलियों के खिलाफ संगठित कर रहे थे। होली के दिन जब वे वहां नहीं जाना चाहते थे, बार-बार एक व्यक्ति का उनके पास फोन आ रहा था कि आप इस कार्यक्रम में आएं। प्रभाकर महतो-एक और व्यक्ति जो वहां पर मारा गया है, बार-बार इस व्यक्ति का वहां पर फोन आ रहा था। इतने बड़े समूह में जहां यह कार्यक्रम हो रहा था, नक्सलियों ने सिर्फ श्री सुनील महतो और प्रभाकर महतो को मारा। इसमें एक साजिश की बू आती है कि कहीं प्रभाकर महतो ही तो बार-बार फोन करके इस घटना को अंजाम देने की कोशिश तो नहीं कर रहा था और जब नक्सलियों ने उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया, तो उस भीड़ में केवल दो व्यक्ति ही मारे गए- श्री सुनील महतो और प्रभाकर महतो, सुरक्षाकर्मी भी मारे गए हैं, लेकिन इस कांड में प्रभाकर महतो की क्या भूमिकर थी? बार-बार श्री सुनील महतो के मोबाइल पर जो फोन आ रहे थे, सरकार इसकी जांच किस प्रकार करा रही है, यह मैं जानना चाहता हूं।

सभापति जी, श्री सुनील महतो की पत्नी सुमन महतो ने अपने बयान में कहा है कि एक साजिश के तहत मेरे पति को मारा गया है। इस घटना को सरकार कितनी संजीदगी से ले रही है, इसके बारे में इस 2 पृष्ठों के बयान में कुछ नहीं कहा गया है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार से वहां कुछ नहीं होना है, उसने CBI की जांच की मांग करके अपना पल्ला झाड़ लिया है। केन्द्र सरकार, इस वक्त वहां की सरकार को समर्थन दे रही है। मैं मांग करता हूं कि राज्य सरकार को तुरंत बर्खास्त करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए।

SHRIMATI BRINDA KARAT (West Bengal): Sir, on behalf of my party, I join this House in expressing our grief and anguish at this very brutal murder. We strongly condemn this murder and urge the Government to take steps to ensure that those who are responsible for this should be immediately caught and punished.

Sir, there are two or three issues which arise out of the Home Minister's statement on which I would like to seek clarification. We know that many of these areas are naxalite-infested and there are such activities, and when an MP who is under protection could be attacked in this fashion, the question arises whether our Intelligence gathering agencies are

performing their duties, if there is a necessity to review that work, whether there has been any lag in the Intelligence information that either the State Government or Central Government is getting, which could permit such an incident to go on in this way. I would like the Home Minister to give a clarification on this issue.

Sir, I represent West Bengal, Many of our districts in West Bengal are neighbouring Jharkhand. I do not wish to go into the political aspect of it; many of my colleagues have spoken about the present State Government and I am not going into the political aspect of it, but during the last two or three years we heve certainly seen many raids of naxalite groups coming in from Jharkhand and attacking our cadre in West Bengal. And it is a very politically motivated thing because these are people who have been fighting the naxalites along with the people in every possible political way. Therefore, they were targeted, and I can say it very clearly, as far as West Bengal is concerned, that there are retaliatory killings because we are confronting them politically. But the problem arises, Sir that even now there are so many cases where those who are guilty have not been punished or have not been caught. That is because of this inter-border movement which is taking place, particularly from Jharkhand into West Bengal and back to Jharkhand.

In paragragh 13 of the statement, the Home Minister has said that they want greater concerted and cooperative efforts between State and between the Centre and the States. So, my question is, can we set up some kind of a permanent mechanism where these incidents are taking place and where there is cross-border movement of thsese naxalite groups? What role can the Central Government have to ensure whether there is cooperation or not among the States? We have to a guarantee through a mechanism which would work regularly to ensure that such cooperation is there if there is no such cooperation. So, what does the Central Government have to say about it? Can we think of such a mechanism?

Lastly, I would like to express my deep condolences to the family and also to the two policemen who were killed in the course of performing their duty. Very often, we do express our solidarity and grief, but as time passes what is the plight of those families? What happens to their children? I think we need to be much more proactive on that. Therefore, I would like an assurance from the Home Minister as to the measures he is going to

take to ensure that the families are adequately looked after by the Government.

श्री एस.एस. अहलुवालिया (झारखंड): सभापति महोदय, आज इस दुर्भाग्यजनक घटना, जिसमें हमारे एक साथी की नृशंसा हत्या हो गई, इसके वक्तव्य पर मैं सवाल पूछ रहा हूं। महोदय, यह वही इलाका है, जहां पर 90 के दशक में arms dropping हुई थी। पुरुलिया और झारखंड का यह वही इलाका है, जहाँ पर arms dropping हुई थी। जब से यूपीए सरकार आई है, उसने बार-बार एक चीज को दोहराया है कि ...(व्यवधान)...

श्रीमती वृंदा कारत: Arms dropping वालों को छोड़ दिया था आपने, आपकी सरकार ने ..(व्यवधान)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: किसने छोड़ा, किसने पकड़ा, वह छोड़ दीजिए। किसकी सरकार थी, कौन था, वह मत बोलिए। मैं आपको उस इलाके की sensitivity के बारे में बता रहा हूँ। यू॰पी॰ए॰ सरकार बार-बार कहती है कि दो विषय गंभीर हैं जिन का सुलझना/सुलझाना जरूरी है-एक क्रॉस बॉडर टैरिज्म और दूसरा इंटरनल नक्सलाइट टैरिज्म। महोदय, इस कारण सब से पहले पी॰डबल्यू॰जी॰ से समझौता हुआ और उस के बाद उनके आर्म्स सरेंडर करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए, परंतु हम ने देखा कि नक्सलाइट अफैक्टेड एरियाज के चीफ मिनिस्टर्स की एक कांफरेंस बुलायी गयी। उन की एक टीम बनायी गयी कि सब मिल-जुलकर efforts करेंगे और इसे रोकने की कोशिश करेंगे, किंतु हम हर बात में विफल हो रहे है।

महोदय, राजीव गांधी की हत्या के बारे में जस्टिस जे॰एस॰ वर्मा की एक कमेटी बैठी थी और उन्होंने अपनी अनुशंसा में दो चीजें मुख्य रूप से कही थीं। उन्होंने कहा था कि टैरिस्ट्स कर एक ढर्रा है कि First, they identify the target, then isolate him and then eliminate him और यह ढर्रा वे अपना रहे हैं, लेकिन हमारी पुलिस उस टार्गेट को identification, isolation and elimination पर कहां रोक लगा पा रही है, यह आज तक मुझे समझ नहीं आ रहा है? दूसरे, उन्होंने कहा था कि जिन लोगों को सुरक्षा प्रदान की गयी है, उसके regular threat perception की स्टडी होती रहनी चाहिए, उसका रिव्यु होता रहना चाहिए। महोदय, अगर एक सेक्शन फोर्स को देखा जाए तो आश्चर्य होता है कि उस सेक्शन फोर्स की क्या संख्या होती है? महोदय, सुनील महतो को "ब्लैक कैट" उपलब्ध थे, लेकिन "ब्लैक कैट" के सिर्फ चार जवान उनके साथ थे जिससे एक सेक्शन फोर्स पूरी नहीं होती है। तो किस संख्या के हिसाब से उनको सुरक्षा प्रदान की गयी थी, उनका threat perception कब रिव्यु किया गया था- इस बारे में मंत्री जी सदन को जानकारी देने की कृपा करें?

महोदय, हम दिल्ली में आम तौर पर देखते हैं कि ''रेड अलर्ट'' घोषित होता है कि कुछ पाकिस्तानी घुस आए हैं और वे आंतकवादी घटना को अंजाम देने जा रहे हैं- प्रधान मंत्री का घर उड़ाने जा रहे हैं, राष्ट्रपति भवन को टार्गेट करने जा रहे हैं या पार्लियामेंट को टार्गेट करने जा रहे हैं, महोदय, उसी तरह से नक्सलाइट्स के लिए एक अलग विंग बनाया गया है, एक नेटवर्क है तो इन स्टेट्स से सारी खुफिया रिपोर्ट्स को इकट्ठा करके, analyse कर के अपनी strategies बनाता है। महोदय, यह कोई मामूली बात नहीं है कि एक सांसद को मारने की conspiracy हुई और खुफिया विभाग को पता न लगा हो? अगर यह खुफिया विभाग को पता नहीं लगा कि एक सांसद को मारने का षड्यंत्र हुआ है, तब तो यह खुफिया विभाग का टोटल फेल्योर है।

दूसरे, महोदय एक बात यह भी चल पड़ी कि सारे सांसदों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, उस बारे में रिव्यु किया जाए। मैं उस के पक्ष में नहीं हूं। सांसदों को सुरक्षा प्रदान कर peoples representatives को peoples से isolate करने यह एक तरीका है। आप क्यों नहीं एक ऐसा माहौल बनाते कि लोगो के मन में नक्सलाइट्स के प्रति जो भय, आंतक है, वह कम हो, लोगों को sense of security महसूस हो? वह माहौल बनाना जरूरी है या सांसदों को ''ब्लैक कैट'' देकर या दूसरी तरह का सेक्युरिटी फोर्स देकर उन को isolate कर दिया जाए ताकि वे सांसदों के साथ मिल भी न सकें, जनता की प्रॉब्लम्स को सांसद न सुन सकें और उन की grievances बढ़ती जाएं? फिरअगर लोगो की grievances बढ़ेंगी तो नक्सलाइट्स का बेस वर्क और आगे बढ़ेगा, उन की फील्ड बढ़ेगी और उन के सपोर्टर्स बढ़ेंगे। महोदय, मैं इस के खिलाफ हूं।

महोदय, मंत्री महोदय ने पैराग्राफ 9 में उल्लेख किया है कि पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए वर्ष 2000-2001 से 4000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या आप को पता है, क्या आप ने कभी रिव्यु किया है कि पुलिस मॉडर्नाइजेशन के नाम पर सुपरिंटेंडेंट पुलिस ने मॉडर्न, एअरकंडीशंड गाड़ियां ले ली हैं। वहां थानों का मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ है, जो arms and ammunitions चाहिए, उन का मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ है। इक्के-दुक्के, एक-दो जगह हुआ होगा, किन्तु जो पूरे हिन्दुस्तान में नेटवर्किंग और डाटा कलेक्शन की सुविधा, ताकि हर जगह का डाटा उनको मिल सके, कम्प्यूटर के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिल सके, उसका प्रबन्ध नहीं हुआ। आपने कहा कि हमने इंडो-नेपाल बॉर्डर पर सशस्त्र सीमा बल लगा दिया है, तो साहब आप यह कैसे सोचते हैं कि बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पर जो नक्सलाइट्स मूव कर रहे हैं, वे नेपाल से नहीं आते? मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़े जिन दो जगहों से नक्सलाइट की उत्पत्ति हुई थी, उनमें एक गोपी बल्लभपुर, जो मिदनापुर में है और दूसरा श्रीकाकुलम, जो आंध्र प्रदेश में है। रेड कॉरिडोर इधर से बना है, जो नेपाल की तरफ गया है। नेपाल से आकर वे हमें सहायता नहीं करते, बल्कि यहां से सहायता वहां जाती है। वहां रोकने से फायदा नहीं होगा, उसे यहां पर रोकना

पड़ेगा। उसके लिए एक सोची-समझी रणनीति होनी चाहिए। यह पहली सरकार है, जो कहती है कि इसके पीछे इकोनॉमिक रीज़न है, नक्सलाइट के फैलने के पीछे इकोनॉमिक रीज़न है। अगर आप इकोनॉमिक रीजन मानते भी हैं, तो उसके लिए आपने क्या-क्या उपाय किए हैं, जिससे कि नक्सलाइट एग्रेशन रुक सके? यह बताने की कृपा करेंगे।

प्रो॰ राम देव भंडारी (बिहार): माननीय सभापति जी, लोक सभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक लोकप्रिय सांसद श्री सुनील कुमार महतो जी नहीं रहे। उनकी जघन्य हत्या कर दी गई है। देश को विशेषकर झारखंड को एक अपूरणीय क्षति हुई है, जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। महोदय, वे आम लोगों के बीच एक लोकप्रिय सांसद थे। मैं अपने दल की ओर से इस जघन्य हत्या की निंदा करता हूं, श्री महतो के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और उनके शोक-संतप्त परिवार को संवेदना देता हूं।

महोदय, देश के 13 राज्यों में 165 जिले ऐसे हैं, जहां नक्सलवादी गतिविधियां चल रही हैं। उनमें दो राज्य झारखंड और बिहार भी हैं। कुछ-न-कुछ घटनाएं बिहार में और झारखंड में भी होती रहती हैं। मगर एक सांसद की हत्या बहुत बड़ी घटना है और सरकार ने कहा है कि यह बहुत सीरियस नेचर की घटना है।

महोदय, मैं इंडो-नेपाल बॉर्डर पर रहता हूं। नेपाल में भी माओवादियों की जो गतिविधियां हो रही हैं, उनके बारे में मुझे भी जानकारी है, सदन को भी है और माननीय मंत्री जी को भी है। महोदय, झारखंड के 22 जिलों में से 15 जिले ऐसे हैं, जिनमें नक्सली गतिविधियां चलती हैं। माननीय मंत्री जी ने उसे रोकने के लिए कई तरह की सुविधाएं दी हैं। कुछ खर्च हुए भी हैं और कुछ खर्च नहीं भी हुए हैं। मैं इसे पोलिटिकल इश्यू बनाना नहीं चाहता कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए। जो बुनियादी समस्या है, उस समस्या पर विचार करना चाहिए। नक्सलवादी गतिविधियों के बारे में जो 13 राज्यों की चर्चा हो रही है, उन राज्यों में एक बिहार भी है, जहां से मैं आता हूं। मध्य बिहार और दक्षिणी बिहार, अब तो उत्तरी बिहार के भी कुछ क्षेत्रों में इनका प्रवेश हो रहा है। महोदय, यह किसी एक राज्य या किसी एक मुख्य मंत्री की समस्या नहीं है। सांसदों की सुरक्षा की व्यवस्था करना, देश के सभी नागरिकों की सुरक्षा की व्यवस्था करना सरकार का कर्तव्य है। चाहे वह किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसका कर्तव्य होता है कि देश के नागरिकों की सुरक्षा, सांसदों की सुरक्षा की जाए।

महोदय, मैं यह नहीं मानता कि गृह मंत्री जी की ओर से इस संबंध में व्यवस्था नहीं की जा रही है। व्यवस्था की जा रही है और हर दृष्टिकोण से यह प्रयास किया जा रहा है कि जो नक्सली गतिविधियां हैं, जिस कोरीडोर की बात अहलुवालिया साहब कर रहे थे, रेड कोरीडोर की, ये बातें अखबारों में आई हैं, सरकार प्रयास कर रही है कि ऐसी व्यवस्था की जा सके, जिस व्यवस्था से

नक्सली गतिविधियों पर काबू पाया जा सके और जो निर्दोष नागरिकों की हत्याएं हो रही हैं, उनको रोका जा सके। वैसे छत्तीसगढ़ में भी बड़े पैमाने पर नक्सली गतिविधियों से हत्याएं हुई थी, वहां तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी सरकार को दोष देना या राष्ट्रपति शासन लगाने जैसी बात करना, जो बुनियादी समस्याएं है और जो उसके बुनियादी हल हो सकते हैं, उससे ध्यान दूर खींचना है।

महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय गृह मंत्री जी सांसदों की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करेंगे और यह जो घटना हुई है, इसको गंभीरतापूर्वक लेकर जैसा झारखंड सरकार ने सीबीआई की जांच का कहा है, मैं भी चाहता हूं, कि सीबीआई की जांच कराई जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उदय प्रताव सिंह (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं अपनी पार्टी की ओर से यह जो एक सांसद की हत्या हुई है और जिस कारण सदन की चिंता है, सदन में उत्तेजना है, सदन में दुख है, उससे स्वयं को संबद्ध करता हूं। मैं यहां एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि यह मसला केवल एक पार्टी के सांसद की हत्या का नहीं है, ऐसी चीजों की हम सबको निंदा करनी चाहिए, भर्त्सना करनी चाहिए और जो हमारी पार्टी की परिधि है, उससे ऊपर उठकर करनी चाहिए। मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं कि इस बात को लेकर यह मांग की जाए कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। इससे तो यह होगा कि जो दुख है, उसको हम हल्का कर देंगे और जो हमारी चिंता है, उत्तेजना है, उसका महत्व नहीं रहेगा।

महोदय, हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि सरकार पहली बात तो यह ध्यान दे कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। अगर इसका कोई आर्थिक कारण है, तो उसका पोलिटिकल प्रोसेस आपने क्या शुरू किया है? इस पर आप ध्यान दीजिए। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों की इस घटना में हत्या हुई है, उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए सरकार क्या करेगी? इन सब बातों पर हमारा ध्यान होना चाहिए। हमको राजनीति से ऊपर उठकर अपनी चिंता व्यक्त करनी चाहिए। यही मेरा निवेदन है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी संवेदना उन सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति प्रकट करना चाहता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं कि कुछ कारगर कदम उठाए जाएं, जिससे उनको सांत्वना मिल सके।

SHRI ARUN SHOURIE (Uttar Pradesh): Mr. Chairman, Sir, it is a matter of very great sorrow that a tragedy like this causes change in the tone of the Government's statements. Sir, you will recall that no two occasions, there was a full debate on internal security and when I had given the details about the spread of naxalites and the figure of 165 districts, which Bhandaryji has just now quoted, the Home Minister was pleased to say that the figures were misleading and the definition of 'Disturbed Districts'

had to be changed. It was accordingly changed, and, from 165 districts, suddenly, we came down to 72 districts.

Sir, today it is a change in the Government's tone that today Andhra Pradesh is being complimanted for 'Greyhounds'. When this debate took place exactly in this House and we pointed to the seriousness of the matter, 'Greyhounds have been put in closets', we were told here in this House that our Government was not afraid to talk. Sir, the same thing happened with ULFA because arrangements were made preceding these incidents and then the 'peace talks' in a sense were the time that was being given to them to reequip, rearm, retrain and recruit. Therefore, Sir, I have a suggestion in this regard. The Prime Minister himself has made a very important statement that this spread of Extreme Left Wing violence is the greatest threat to India's security today. For that reason, I think, it is misleading. As the Home Minister has rightly pointed out, it is not a sufficient index to say this much has been spent on police modernisation.Various Members have been pointing out what has happened to that. So, I would say that I had an occasion to meet the experts who were involved and the police officials who were involved in combating Naxalism in a gathering at Raipur, just about a month-and-a-half ago. They were very distressed on many counts in that way. So, I would suggest that we discuss this matter fully and the Home Minister would be kind enough to apprise the House about what exactly is happening in regard to modernisation of the police forces. Terrorists are also modernising. They are modernising at a much greater pace. Similarly, the Home Minister has been apprising us about the coordination meetings that he has been holding with Chief Ministers, with Home Ministers, and they, in turn, hold various kinds of meetings. But, what is the result? There is a much greater coordination among the terrorist groups operating in different places. You are right, today, they are being pushed. Because of the lunacy in the peace talks, they are now being pushed out of Andhra and they have begun their activities in Chhattisgarh and in Maharashtra. So, unless we get to know this, unless we get to know information about the links of different political groups of different so-called civil liberties organisations, we can't have a useful discussion. The Home Minister should take the House into confidence on what the intelligence agencies are telling him about different political parties.

And, finally, Sir, the point Brinda made that we always forget the sacrifices which the police and the military people made for the security

of the country and after that they are arraigned in cases. This happened in Punjab. I know how difficult it was for them to get lawyers. They came to me to help them organise lawyers. So, Sir, my plea is: Don't let this incident also go in waste. Please have a full discussion in which the details behind the Minister's statement are made available to the House. Thank you.

श्री राजनीति प्रसाद (बिहार): सभापति महोदय, यह बहुत ही दुख की बात है कि एक सांसद झारखंड में मारे गए और झारखंड राज्य हमारा पड़ोसी राज्य है, यह बहुत गंभीर मामला है। अभी अहलुवालिया जी भाषण कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सभी सांसदों के लिए सुरक्षा की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें सुरक्षा मिलेगी तो उन्हें पब्लिक से हटा दिया जाएगा। मैं ऐसा नहीं मानता, सांसदों को सुरक्षा की जरूरत है। पहले हम लोग एक आम आदमी रहा करते थे, लेकिन अब कुछ उग्रवादियों की नजर हम पर रहती है। अगर वे किसी साधारण आदमी को मारेंगे तो शायद उनकी उतनी ख्याति नहीं होगी, उतना नाम नहीं होगा, लेकिन अगर सांसद को मारेंगे या किसी विशेष अधिकारी को मारेंगे तो उनका नाम ज्यादा होगा, इसलिए भी हत्याएं होती हैं। सांसद बहुत दूर-दराज के इलाके में भी चले जाते हैं, कोई भी उनको बुलाता है तो वे चले जाते हैं। अगर उनकी सुरक्षा नहीं होगी तो बहुत कठिन मामला हो जाएगा। सभापति जी, उदाहरण के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हम लोग पुलिस को खबर करते हैं कि अमुक जगह पर हम लोग जा रहे हैं, आप लोग वहां पर पुलिस की या सिक्युरिटी की व्यवस्था करिए, लेकिन वहां कोई पुलिस नहीं होती है। हमारे पास जो सिक्युरिटी होती है, साधारण सी, छोटी सी सिक्युरिटी, सिर्फ एक रिवाल्वरधारी ही होता है और वहां कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं रहता है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं और उस पर हमारे गृह मंत्री जी जरूर बोलेंगे। गृह मंत्री जी ने बहुत से आंकड़े दिए हैं, उनके बारे में मैं एक सवाल उनसे पूछना चाहूंगा कि इन आंकड़ों में आपको जो खुफिया विभाग है, खुफिया विभाग के लोग हैं, उनके बारे में आपने क्या व्यवस्था कर रखी है? क्योंकि उनको जानकारी होनी चाहिए कि किस सांसद पर क्या आघात होने वाला है, किस सांसद का क्या कार्यक्रम होने वाला है।

श्री सभापति: ये बातें आ गई हैं।

श्री राजनीति प्रसाद: उसको यह जानकारी होनी चाहिए। मुझे एक मिनट का समय और दिया जाए, मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं। वहां यह घटना अचानक नहीं घटी है, बल्कि जो नक्सलाइट थे, जो लोग मारने के लिए वहां गए थे, वे लोग वहीं बैठे हुए थे और उनमें औरतें भी थीं। वे सभी लोग माला पहनाने के लिए वहां पर गए। इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग माला पहनाने गए, उन्हीं लोगों ने वहां इस प्रकार का हंगामा किया। मैं हमारे माननीय गृह मंत्री महोदय से यह

1.00 P.M.

जानना चाहूंगा कि जहां पर पुलिस के इतने लोग आर्म्स लेकर बैठे हुए थे, क्या पुलिस के उन लोगों को इसकी सूचना नहीं थी? क्या खुफिया विभाग को इसकी सूचना नहीं थी? अगर थी, तो यह घटना कैसे घटी?

श्री बशिष्ठ नारायण सिंह (बिहार) : सभापति महोदय, श्री सुनिल कुमार महतो जी की हत्या एक असाधारण घटना है। संसद का सत्र चल रहा है और उसी अवधि में हिंसक गतिविधियों में विश्वास करने वाले लोगों ने, लोकतांत्रिक पद्धति में विश्वास करने वाले एक होनहार, जिसका भविष्य अनेक संभावनाओं से परिपूर्ण था, ऐसे व्यक्ति को दुनिया से हटा देने का काम किया है।

अभी तीन-चार सवाल उठ रहे हैं। यह घटना समाज, सरकार और लोकतंत्र, तीनों के लिए चुनौती बन गया है। गृह मंत्री जी ने पहले भी आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद पर आंकड़ों सहित अपना बयान दिया था और आज के बयान में भी कुछ ऐसी ही चर्चा की गई है, कुछ स्कीमों की चर्चा की गई है। हत्याओं का सिलसिला चल रहा है और बराबर इसी ढंग के सरकार के बयान आते जा रहे हैं। लगता है कि इसका कोई सार्थक समाधान नहीं निकल पाएगा।

मैं दो-तीन प्रश्नों पर गृह मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं और उनसे जानकारी भी चाहता हूं। सरकार ने मॉडर्नाइज़ेशन करने के लिए अपने सशस्त्र बलों का, पुलिस इत्यादि का क्या रास्ता अख्तियार किया है, उग्रवादी संगठनों के जो आत्मघाती दस्ते बन रहे हैं, सरकार के द्वारा क्या उसके ऊपर गंभीरता से विचार करने का काम किया गया है? क्या सरकार ने इस पहलू पर विचार करने का काम किया है कि ये उग्रवादी संगठन, आतंकवादी संगठन, नक्सलवादी संगठन किन एरियाज़ में ज्यादा कार्यरत हैं?

सभापति महोदय, बिहार में, मुसहरी में, जहां पर नक्सलवादी ज्यादा सक्रिय हुए थे, वहां पर श्री जयप्रकाश नारायण उनका मुकाबला करने के लिए गए थे। हम लोगों के पास ऐसी जानकारी है, जो पत्रों को पढ़ने के माध्यम से प्राप्त हुई है कि नक्सलवादी संगठन के लोग उन्हीं इलाकों में ज्यादा प्रश्रय पाते हैं, जिन इलाकों में निर्धनता रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या ज्यादा होती है। अब, जहां पर निर्धनता रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या ज्यादा है उन इलाकों में, जैसा कि सरकार ने अभी स्कीम बनाई है कि आज भारत निर्माण की जितनी योजनाएं हैं, क्या सरकार उनको भी लागू करने का विचार कर रही है। क्या सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि इस तरह के एरियाज में कम से कम सोश्यो-इकोनॉमिक सर्वे करवा लिया जाए और सोश्यो-इकोनॉमिक सर्वे करवाने के बाद वहां डेवलपमेंटल और आधुनिक तरीके से पुलिस को लैस करने का प्रयास किया जाए? सरकार कम से कम इन प्रश्नों पर विचार करे, इतना कह कर, अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रवि शंकर प्रसाद (बिहार): सभापति महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, मैं इसकी भर्त्सना करते हुए अपनी संवेदना देता हूं। माननीय गृह मंत्री जी, मेरे आपसे दो सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि आप हमेशा कहते हैं कि यह सामाजिक आर्थिक चिंता का विषय नक्सलवाद है। लेकिन एक बात आप जानते होंगे कि आज निहित स्वार्थों के द्वारा नक्सलवाद सरकारी फंड को लूटने का एक बहुत बड़ा उपक्रम भी बन रहा है। यह बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि उस इलाके में सुनील महतो ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। कुछ दिनों पहले रेलवे पर माल लोड नहीं हो सका था क्योंकि नक्सलवादियों ने कहा था कि जब तक हमें कट नहीं मिलेगा तब तक हम लोडिंग नहीं करने देंगे। तो ये घटनाएं चल रही थी। क्या कार्रवाई हुई, मैं इसको बड़े विषय पर ले जाना चाहता हूं। दूसरी बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस इलाके में यह घटना हुई है वह पांच प्रदेशों का मोटे रूप से संगम है--झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ और इन सभी जगहों पर नक्सलवाद का प्रभाव है। जब-जब जनता का मूवमेंट शुरू होता है उसको दबाने की कोशिश होती है। छत्तीसगढ़ में सलवा जुडूम मूवमेंट हुआ था, याद करिए, जनता जागी थी। पूरे देश की मीडिया में सलवा जुडूम के खिलाफ लेख आने शुरू हो गए। सिविल लिबर्टी मूवमेंट ने बोलना शुरू कर दिया और केन्द्र सरकार को जितनी सख्ती से जनता के नक्सलवाद के खिलाफ मूवमेंट को समर्थन मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पाया। आज जो यह घटना हुई है उसी कारण से है। इसलिए मैं कहूंगा कि नक्सलवाद के इन चिंताओं के आलोक में सरकार क्या कार्रवाई करेगी, यह हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे?

MR. CHAIRMAN: Now, Mr. Minister.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): Sir, certain queries have been made by the hon. Members. I would reply to those queries first. Mr. Sunil Mahato was given Y-category security and he was having two PSOs and five commandos with him. The second question asked was whether he had informed the district police. (*Interruptions*)

SHRI DIGVIJAY SINGH: The first question is not answered. (*Interruptions*) आप वहां क्यों नहीं गए, हम यह सुनना चाहते हैं। इस हत्या के बाद गृह मंत्री जी क्यों नहीं गए और अगर गए तो घटनास्थल पर क्यों नहीं गए, हम यह जानना चाहते हैं? ...(व्यवधान)...

श्री संतोष बागड़ोदिया: वे जवाब दे रहे हैं।

श्री सभापति: ठीक है, उस सवाल का भी जवाब आ जाएगा।

श्री दिग्विजय सिंह: मेरा पहला सवाल था कि गृह मंत्री जी क्यों नहीं गए और अगर गए तो घटनास्थल पर क्यों नहीं गए, यह हमारा सवाल है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: उनको बोलने दिजिए।

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, the second query was whether the district police was informed or not. We have received the written information from the State Government. In that written information, nothing is written about the information given or not given by Mr. Mahato to the district police. But, I am told by my officers—on telephone they did tell them—that no information was given to the district police by the officers. (*Interruptions*)

SHRI YASHWANT SINHA: The State Home Minister personally went to the site. What is the information—if this basic information has not been collected by them? What is the use of such agencies? (*Interruptions*)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, I don't understand. if you don't want to hear, tell me, I will sit down. (*Interruptions*) If you don't want to hear, I have no objection in sitting down. ...(*Interruptions*)... The question asked was whether information was given or not and the information which is given to us is that, information was not given. ...(*Interruptions*)...

SHRI YASHWANT SINHA: But you did not say that. Sir, he did not say as clearly as he is saying now. He was trying to hide behind the State Government's information.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: But those information I can rely upon?

SHRI YASHWANT SINHA: You own Minister, who went there. (*Interruptions*) What was Mr. Jaiswal doing there? Why did you send your Minister of State?

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: क्या वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए थे।.....(व्यवधान)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: I don't know whether you want to hear me or not. ...(*Interruptions*)... Then, why are you objecting every now and them? I expect some kind of cooperation from atleast, senior Members and former Ministers. ...(*Interruptions*)... I am categorically saying that in written statement this point was not mentioned, but in the talk which officers had

with the officers in the State, they have said that this information was not given.

Then, Sir, the third question which was asked was: "What is the kind of help that would be given to the members of the police who have died in this." The inforamation which we have received is that they are likely to get Rs. 8 lakh of insurance and other things also. In all, each family of the police personnel who has bee killed, is likely to get Rs. 10 lakhs.

SHRIMATI BRINDA KARAT: What about employment?

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: That is for the State Government to decide I am saying that this is the kind of monetary help which will be given, and definitely, the police of the Government is to help the members of the families in other ways also, when the police people die in protecting others. Now, sometmes, the job is given, sometimes, the house is given, sometimes, admission is given to the educational institution, and many other types of facilities are provided to the survivors.

Thirdly, a very important question was raised relating to the intelligence. I think, in order to contain any violent activity or terrorist activity, nothing is as useful as the intelligence is. The intelligence is collected by the Government of India, and it is made available to the State Governments also. But the information which is collected by the Government of India and given to the State Governments, is of a different nature. Now, they are in a position to find out the directions which the naxalites or the terrorists or any other kind of persons intending to create some violence are going to take; whether they are going to attack the politicians or the policemen or businessmen or some important installations like the railways, and things like that. Now, that kind of information is available. But the information, though it gives help to the police in the State, it does not fully help them because the time and the place where these incidents are likely to occur, are not known to the policemen in the State also. That is why it has become necessary to strengthen not only the intelligence agencies at the national level, but the intelligence agencies at the State level also, and there has been no meeting which we had with the hon. Chief Minister, Home Minister, the Chief Secretaries and the DGs, in which we have not discussed the importance of intelligence-collecting machinery.

श्रीमती सुषमा स्वराज (मध्य प्रदेश): सर, इतनी महत्वपूर्ण घटना का इतना कैजुअल जवाब गृह मंत्री जी दे रहे हैं। मीटिंगों में यह बात तो होती ही होगी, लेकिन इस घटना के संबंध में पूछा गया है। पहला सवाल पूछा गया है कि आप क्यों नहीं गए, इस तक का जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसा कैजुअली जवाब क्या सुनना? हम वाक-आउट करते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री दिग्विजय सिंह: सर, मेरा पहला सवाल यही था कि गृह मंत्री जी वहां पर स्वयं क्यों नहीं गए? ...(व्यवधान)... वह दिल्ली में क्या कर रहे थे? ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)...

SHRI SANTOSH BAGRODIA: You don't want to hear the Minister ...(*Interruptions*)... You people want to go ...(*Interruptions*)... You are not interested in listening to the reply of the Home Minister ...(*Interruptions*)... You were not interested in listening to the measures for the safety of the people. You do not want to listen ...(*Interruptions*).... You are only interested in politics....(*Interruptions*)...

(At this stage some hon. Members left the Chamber.)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, we have been asking the State Governments to strengthen their special branches. Sir, you know very well that in the States, the special branches are responsible for collecting the information and providing the information, and we have also said that you prepare the plan, we will also prepare the plan, and whatever help is required to be given for strengthening the special branches collecting the intelligence, would be given. Now, this is an issue which is really very important, and we have taken it up, and I am happy to say that some State Governments have made provisions in their budgets, giving some more money to the police, and providing funds for strengthening their special branches. But, other State Governments have to do it, and probably, they would do it. This is a question which is not directly connected with this issue. I have replied to the queries made, and then, I am taking up the issue which have been raised by the hon. Members, and then, if I am allowed, I will refer to the policy which we should follow. So, the incident will be discussed; the issues will be discussed, and the policy will also be discussed. We would be very happy to receive the guidance to receive the views, of the hon. Members, so that we can make use of them and we can strengthen our machinery.

The fifth point which was made was: Are you depending only on the

police force? Are you doing something to strengthen the economy of the people living over there? Are you doing something to help in some other ways or not? Sir, I have given, in great detail, as to what kind of steps have been taken by the Government of India and what kind of money has been given to the State Governments to strengthen and help the people in these States. We have schemes. Employment Guarantee Scheme is one of the Schemes. Then, providing mid-day-meals is another thing. And, then, we are giving funds to the State Governments to talk to the people who want to give up this kind of activity and join the mainstream. The work will be given ... (*Interruptions*).

SHRI PENUMALLI MADHU (Andhra Pradesh): Sir, alienation of tribal lands is one of the biggest problems.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: We have passed the law. It is you, the hon. Members, who have spoken about that. We have passed that law, and we would be using that law. Now, these things are being done, but it is not necessary for me to go into all these details.

Now, about modernization and all those things, Sir, well, I thought that when I speak about the details of the incident, they would be asking: "What have you been doing to help the State Governments to strengthen their machinery to contain these kinds of practices?" That is why I have given the information in my written statement also. But, I am sure that this kind of information is not going to cover all the points, and it will not be possible to cover all the points in a discussion of this nature. If any other kind of discussion is allowed on this point, we will be only happy to put the entire picture before the House so that they can know. Now, some people say that you talk to them, but some people say that you don't talk to them. We are willing to talk to anybody who abjures violence. We are not willing to talk to those who are taking the arms in their hands and are trying to control the situation, but talking is not prohibited. But talking to the persons who are not going to abjure violence is not going to help. And that is not the kind of policy we are following. We are not taking up the positions in extreme. We are not saying that only guns will solve the problem. We are not saying that only talks will solve the problem. We are not saying that only economic development will solve the problem. This problem has to be tackled by adopting different routes to reach the goal, the routes to provide peace and tranquility in the society.

Sir, about modernization and all those things, I think, I will discuss it. Now, as far as the security that is to be provided to the hon. Members is concerned, some hon. Members have raised this issue. Sir, you had also called a meeting, and we had the opportunity, given by you, to discuss this issue, and we have explained. Our policy with respect to this is to err on the safer side. If we have the information that somebody's life is likely to be threatened, or if somebody's life is in danger, we would like to give the security to those persons. There are persons who are wanting security, and there are persons who are not wanting security also. But this task has to be performed by the State Governments. And if we send our policemen to provide security to them, there are so many problems. We have received objections from the State Governments saying why are you doing thins. And some PILs, and some cases also, have been filed in the High Court and the Supreme Court. But this issue we would like to deal with in a proper manner, and if anything has to be done in this respect, Sir, you will also guide us; the hon. Members will guide us. Hon. Prime Minister is, certainly, guiding us, and he has been telling us that wherever possible, wherever necessary, we should be giving security to the legislators; not only to the Members of the Parliament but of the other Legislatures also. That would be our policy. But on this, we have not come to any final conclusion. There is a Blue Book, and there is a Yellow Book. Now, the Yellow Book lays down the policy which provides as to how the security can be provided to the legislators and other important persons in the society. We are following that Yellow Book. If anything has to be added to that Yellow Book or any other kind of policy has to be adopted, we are open to consider that policy. I don't have to say anything more than this on this issue.

श्री सभापति: गृह मंत्री जी, एक जानकारी मैं करना चाहूंगा। झारखंड की जिस प्रकार की स्थिति है, उससे सभी अवगत हैं। वहां हमारे rich minerals हैं, बड़े-बड़े कारखाने लगे हुए हैं। कुछ दिन पहले खड़गपुर रेलवे को दो घंटे तक नक्सलाइट्स ने रोका और जो घटना हुई, वह आपको मालूम है। तो मैं यह जानकारी करना चाहता हूं कि इन सारी स्थितियों में श्री महतो को जो सिक्योरिटी दी गई थी, क्या वह सिक्योरिटी पर्याप्त थी?

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: सर, उस मैम्बर को वहां पर जो सिक्योरिटी दी गई थी, वह स्टेट गवर्नमेंट ने दी थी। हमने ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: स्टेट गवर्नमेंट दे या नहीं दे, आप अपने हिसाब से बताइए कि अगर इन

circumstances में किसी एम॰पी॰ को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, तो जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी, क्या वह पर्याप्त थी?

श्री शिवराज वी॰ पाटील: सर, मैं बोल रहा हूं कि दो PCOs थे और पांच कमांडों उनके साथ थे। अगर एक-एक मैम्बर को इतनी सिक्योरिटी ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: इतनी नहीं, एक-एक मैम्बर की बात नही है। ...(व्यवधान)... मैं एक-एक मैम्बर की बात नहीं करता। उन circumstancs में, जिन circumstancs में महतो उनका टार्गेट था, तो वह आदमी अगर कहीं जाता है, तो उनको जो सिक्योरिटी तत्काल प्रोवाइड की गई थी, क्या वह पर्याप्त थी?

श्री शिवराज वी॰ पाटील: सर, मैं आपको मालूमात के लिए बोलना चाहूंगा कि जब हमारे इंटेलिजेंस के लोगों ने उनके साथ बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि हमको जो सिक्योरिटी दी गई है, वह पर्याप्त है। उन्होंने ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: नहीं... नहीं... मैं आपसे पूछ रहा हूं, होम मिनिस्टर से मैं पूछ रहा हूं कि एक एम.पी. को जिस प्रकार की सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी उन circumstances में? क्या वह पर्याप्त थी?

श्री शिवराज वी॰ पाटील: सर, मैं आपके साथ argue तो कर नहीं सकूंगा ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: Argue नहीं कर रहा हूं मैं।

श्री शिवराज वी॰ पाटील: क्योंकि it is not given to me to argue with the Presiding Officer.

श्री सभापति: नहीं नहीं, मैं argue नहीं कर रहा हूं। ...(व्यवधान)...

श्री शिवराज वी॰ पाटील: मगर मैं सवाल का जवाब यह दे रहा हूं कि जब उनसे पूछा गया था कि क्या आपको यह सिक्योरिटी पर्याप्त नजर आती है, तो उन्होंने खुद कहा था कि हमको पर्याप्त दिखाई देती है। अब इससे ज्यादा हम लोग यहां से क्या बोलेंगे उसके लिए?

श्री सभापति: ठीक है। ...(व्यवधान)...

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, my question about inter-State ...*(Interruptions)*...

DR. BARUN MUKHERJEE (West Bengal): Has any arrest been made so far?

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: I will come to that. There is a very important question raised by an hon. Member and that question relates to the

cooperation and coordination among States and between the Union and the States. I think that this is one of the most important questions. This question has to be considered by us in a proper manner. Now it is becoming very difficult for the State police to go to the adjoining States or the neighboring States to take action against them. That is why we have asked them to have an understanding and agreement among themselves and under that agreement to issue instructions to the police to consider the matters relating to the movement of police from one State to the other to take action against them. This is what we have asked. .But more than that, there is an idea floated that if these things are happening not only between two States but also more than two States and if there are offences taking place which have ramifications throughout the country, what the Union Government would do? Now this is really a very important question. This question is before the Supreme Court also and the Supreme Court has not given a decision on this point. But the Supreme Court has asked the Soli Sorabejee Committee to give its view to them to decide this issue. The National Human Rights Commission has also given information to them. We have been considering this question: Can we evolve a concept under which it becomes possible for the Union Government to cooperate with the State Governments to control this kind of things. If a law is made saying that certain kinds of crimes can be treated as federal crimes and in certain kinds of cases, the Union police should be allowed to take action against them, it will be very very helpful. This is an issue on which we shall have to crystalise our views and the States Governments have to cooperate with us. If the State Governments don't cooperate, then, it becomes very difficult.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, that was not at all my point of trying to take away any of the powers that the State Governments have on this issue. My only point was this. Where two State Governments are involved, is there any mechanism that the Central Government can set up to further enable the State Governments' cooperation with each other? That is my simple point.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: If that is the point, I think, the first point was equally important are probably more important. This is exactly what is happening. When we put this issue before our colleagues from the States, they have their reservations. When they have reservations, it becomes very difficult. We do have a mechanism here. There is a mechanism

under which the Home Secretary speaks to the Chief Secretary; the Special Secretary (Security) also speaks to the DGs and the Home Minister speaks to the Chief Ministers. The Government has constituted an Empowered Committee to deal with these matters, of which some of the Ministers of the Union Government, some of the Chief Ministers of the States which are affected by terrorist movements, are also members. They can sit there and decide. What we have been insisting upon is they should prepare a plan as to how they would like to deal with it. They should mention in the plan as to how they will cooperate with the neighbouring States. Then according to that agreement they should issue instructions to the police. This kind of a mechanism is already there. (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: This matter is over. Hon. Members, there will be no lunch hour today. Now further discussion on the Motion of Thanks on the President's Address.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI JASWANT SINGH): Mr. Chairman, Sir, we are resuming the discussion on the Motion of Thanks on the President's Address to the Joint Session of both the Houses. I find that both the hon. Mover of the Motion, as also the seconder of the Motion have found it inconvenient to be present in the House. Sir, that is quite the standard for the Treasury Benches. Not for that reason, but for other reasons, I am unable to lend my support to the Motion that was moved by the hon. Maharaja of Kashmir and seconded by hon. Raashid Alvi. I recognize the complexity of governance in the present day because when this entire system of Motion of Thanks and Joint Session first got introduced, governance and Governments by themselves were much simpler. It is a far more complex exercise now and every Ministry of the Government expects two or three lines to be included in the Motion, which renders the entire text of the Motion as almost incoherent. But I have different reasons for not being able to support this Motion. It is a matter of great regret and sorrow to me that my difficulties of supporting this Motion as also the complexity of governance are compounded by the fact that the Leader of the Congress Party is today acting as the principle opposition to the Government. And it is the Leader who has